संख्या–442/47–का–3–2012–9/102/2011

प्रेषक,

एच0एल0 गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 17– अप्रैल, 2012

विषय : वित्तीय वर्ष–2012–13 में सेन्टर फार गुड गवर्नेस, उत्तर प्रदेश के व्यय के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी पत्रांक–सी.जी.जी./1238, दिनांक 21.10.2011 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स (सुशासन केन्द्र) उत्तर प्रदेश के व्यय हेतु सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) तथा सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन) आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष–2012–13 हेतु आय–व्यय के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या–23 सन् 2011) द्वारा स्वीकृत व्यय के लिए रू0–21,00,000/–(रूपये इक्कीस लाख मात्र) की धनराशि का 1/3 भाग अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–04–सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स उ0प्र0 के निम्नलिखित मानक मदों/ उपशीर्षो में सम्मुख अंकित धनराशि माह अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक के व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

धनराशि (रूपये हजार में)

उपशीर्ष/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए प्राविधानित आय–व्ययक/ अनुदान धनराशि	04 माह (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1500	500
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	600	200
योग	**2100**	**700**

(रूपये सात लाख मात्र)

2– उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार शासन की पूर्व सहमति/ अनुमोदन से किया जायेगा।

2/–

3— उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नहीं की जाएगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से अग्रिम प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि का आहरण महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जाएगा। उक्त बिल को अनुसचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जाएगा।

4— अनुदान संख्या—19 के लेखा शीर्षक "2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें— आयोजनेत्तर—800—अन्य व्यय—04—सेन्टर फार गुड गवर्नेस" के लिए वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय— व्ययक में माह अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक 20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0—15,00,000/—(रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि मे से धनराशि रू0—5,00,000/—(रूपये पांच लाख मात्र) तथा 31—सहायता अनुदान—सामान्य (वेतन) मद में रू0—6,00,000/—(रूपये छः लाख मात्र) में से धनराशि रू0—2,00,000/— (रूपये दो लाख मात्र) के मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,

(एच0एल0 गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या—442(1)/47—का—3—2012—9/102/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4— कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
5— अनुसचिव, (नियुक्ति अनुभाग)—6 उ0प्र0शासन।
6— नियुक्ति अनुभाग—6 (लेखा कोष्ठक) उ0प्र0शासन।
7— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—5 उ0प्र0शासन।
8— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1/2 उ0प्र0शासन।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0एल0 गुप्ता)
विशेष सचिव।